vinetur

थाईलैंड ने बौद्ध पर्वों पर शराब बिक्री प्रतिबंध से हवाई अड्डों, होटलों और लाइसेंसधारी नाइटलाइफ़ स्थलों को छूट दी

संशोधित नियम में पांच पवित्र दिनों पर प्रतिबंध बरकरार है, लेकिन सख्त शर्तों के तहत निर्धारित पर्यटन क्षेत्रों और बड़े आयोजनों के स्थलों पर बिक्री की अनुमति है

शनिवार, 7 नवंबर 2026



थाईलैंड ने शनिवार, 7 नवंबर को एक संशोधित राष्ट्रीय नियम लागू किया। इसके तहत पांच प्रमुख बौद्ध पर्वों पर शराब की बिक्री प्रतिबंधित है, जबकि मुख्य रूप से पर्यटन, यात्रा और लाइसेंसधारी नाइटलाइफ़ से जुड़े कुछ सीमित स्थलों पर बिक्री की अनुमति दी गई है।

यह उपाय शुक्रवार, 6 नवंबर को रॉयल गज़ट में प्रकाशित हुआ और अगले दिन से प्रभावी हो गया। इसे थाईलैंड की अल्कोहलिक बेवरेज कंट्रोल कमेटी ने जारी किया और यह 2025 के एक पुराने आदेश की जगह लेता है।

नई अधिसूचना के तहत पांच बौद्ध पर्वों पर शराब की बिक्री प्रतिबंधित रहेगी : माखा बुचा दिवस, विशाखा बुचा दिवस,

असाल्हा बुचा दिवस, बौद्ध वर्षावास की शुरुआत और बौद्ध वर्षावास का समापन। थाई अधिकारियों ने मूल प्रतिबंध बरकरार रखा है, लेकिन तय शर्तों के तहत कई अपवाद स्पष्ट किए हैं।

अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों के यात्री सेवा भवनों के भीतर, थाईलैंड के मनोरंजन स्थल कानून के तहत कानूनी रूप से संचालित व्यवसायों में, मनोरंजन स्थलों जैसी विशेषताओं वाले कुछ पर्यटन-क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में, होटल कानून के तहत विनियमित होटलों में और बड़ी भीड़ जुटाने वाले विशेष राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय आयोजनों के स्थलों पर बिक्री की अनुमति अब भी है।

इनमें से कुछ अपवादों के लिए मंत्रियों द्वारा आगे नामित किया जाना आवश्यक है। पर्यटन-क्षेत्र के प्रतिष्ठान मान्यता प्राप्त पर्यटन क्षेत्रों में होने चाहिए और उन मानदंडों के दायरे में आने चाहिए जिनकी घोषणा आंतरिक मंत्री की सिफारिश पर जनस्वास्थ्य मंत्री करेंगे। विशेष आयोजनों के स्थलों को भी पर्यटन एवं खेल मंत्री की सिफारिश के आधार पर जनस्वास्थ्य मंत्री द्वारा जारी सूची में शामिल होना होगा।

इस अधिसूचना पर 9 अक्टूबर को जनस्वास्थ्य मंत्री Pattana Promphat ने अल्कोहलिक बेवरेज कंट्रोल कमेटी के अध्यक्ष के रूप में हस्ताक्षर किए। थाई मीडिया द्वारा उद्धृत पाठ के अनुसार, इसे कमेटी की 17 अप्रैल की बैठक के बाद प्रकाशित किया गया।

नए आदेश में छूट पाने वाले विक्रेताओं पर भी दायित्व लगाए गए हैं। इन संचालकों को सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने, जनसुरक्षा की रक्षा करने और बच्चों तथा युवाओं की शराब तक पहुंच सीमित करने के लिए जांच-व्यवस्था और अन्य आवश्यक उपाय लागू करने होंगे।

यह विनियमन थाईलैंड के 2008 के अल्कोहलिक बेवरेज कंट्रोल एक्ट की धारा 16(3) और 28 के तहत जारी किया गया है, जिसे 2025 के एक कानून से संशोधित किया गया था। यह 7 मई, 2025 की प्रधानमंत्री कार्यालय की अधिसूचना को औपचारिक रूप से रद्द करता है।

पेय उद्योग के लिए यह नियम थाईलैंड के धार्मिक कैलेंडर की कुछ सबसे संवेदनशील तारीखों पर बीयर, वाइन और स्पिरिट्स की बिक्री के लिए राष्ट्रीय परिचालन ढांचा तय करता है। होटलों, हवाई अड्डों के खुदरा विक्रेताओं, नाइटलाइफ़ संचालकों और बड़े आयोजनों के आयोजकों को अब यह स्पष्ट दिशा-निर्देश मिल गए हैं कि बिक्री कब जारी रखी जा सकती है और अनुपालन के लिए कौन से कदम जरूरी हैं। वहीं, इन छुट्टियों के दौरान उत्पादकों और वितरकों की व्यापक खुदरा गतिविधियों पर प्रतिबंध जारी रहेगा।

यह संशोधित तरीका धार्मिक आचरण और शराब नियंत्रण के साथ पर्यटन तथा बड़े आयोजनों की जरूरतों में संतुलन बनाने के थाईलैंड के प्रयास को भी रेखांकित करता है। छूट के दायरे से बाहर के व्यवसायों पर पांचों पर्वों में प्रतिबंध लागू रहेगा। छूट प्राप्त श्रेणियों में आने वाले व्यवसायों के लिए बिक्री की अनुमति केवल स्थान पर ही नहीं, बल्कि कानूनी शर्तें पूरी करने और लागू होने वाले किसी भी मंत्रिस्तरीय नामांकन पर भी निर्भर करेगी।